150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः-एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2012 जयपुर, दिनांक : 16 MAR 2020

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत मजदूरों को नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाने के लिये कार्यस्थल पर आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वास्थय मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिये दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार उक्त संक्रमण से बचाव ही उपाय है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राज्य में वर्तमान में लगभग 13 लाख श्रमिक कार्यरत है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वायरस संक्रमण से बचने के लिये **"क्या करें और क्या न करें"** के संबंध में योजनान्तर्गत कार्यरत समस्त मजदूरों को जानकारी दी जावे। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. योजनान्तर्गत कार्यरत कार्मिकों यथा कनिष्ठ तकनीकि सहायकों, ग्राम रोजगार सहायकों, कनिष्ठ सहायकों एवं मेटों आदि को कोरोना वायरस संक्रमण से संबन्धित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे। उक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जावे कि कार्यस्थल पर कार्यरत श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी आसान उपाय यथा साफ-सफाई का ध्यान रखने, साबुन से बार-बार हाथ धोने, खाँसते या छींकते समय अपना मुंह ढककर रखने एवं मास्क का प्रयोग करने तथा जो लोग अस्वस्थ है या उनमें बीमारी के लक्षण नजर आ रहे हैं जैसे- खांसी, नाक बहना, बुखार आदि से दूरी बनाये रखने के संबंध में जानकारी दी जावें।
2. कार्यस्थल पर मेडिकल किट में हाथ धोने के लिए साबुन भी रखा जावें।
3. जीवाणुओं के फैलाव को सीमित रखने के लिए अपने हाथों को साफ करना महत्वपूर्ण होता है। अतः हाथों को निम्नलिखित स्थितियों में साफ करने हेतु श्रमिकों को मेटों के माध्यम से जानकारी दी जावें :-
   I. आंख और नाक को छूने से पहले।
   II. खाना खाने से पहले।
   III. शौचालय जाने के बाद।
   IV. खांसी या छिंक आने के बाद।
   V. दूषित या गंदे पदार्थो, कचरा, जानवर एवं चिकित्सकीय अपशिष्ट से सम्पर्क करने या संभालने के बाद।
4. योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को हाथ को साफ करने के निम्न तरीकों से अवगत करवाया जावे।

Scanned with CamScanner

5. योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों की कार्यस्थल पर समूह में उपस्थिति दर्ज न की जाकर मेट द्वारा उनके कार्यस्थल पर जाकर ही उपस्थिति दर्ज की जावे। अर्थात् श्रमिकों को एक स्थान पर एकत्रित करने से बचा जावे।
6. कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिये क्या करे और क्या न करें? के संबंध में जानकारी प्रपत्र-6 की रसीद के पृष्ठ भाग पर Bullet Point में छपवाई जावे।
7. सभी कार्मिकों, मेटों एवं मजदूरों को नियमित रूप से साबुन व पानी से हाथ धोने, खुले एंव असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन न करने, हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते करने, छिंकते एवं खांसते समय नाक व मुंह ढकने तथा जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाये रखने हेतु प्रेरित किया जावे।
8. जिस कार्मिक, मेट अथवा श्रमिक को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो, को मास्क का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जावे, साथ ही चिकित्सकीय परामर्श हेतु नजदीकी स्वास्थय केन्द्र पर भिजवाया जावे।
9. समस्त श्रमिकों को जिन व्यक्तियों में सर्दी और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाये रखने, अंडे एवं मांस के सेवन से बचने, खूब पानी व तरल पेय पीने, ठण्डे व बासी खाने से बचने एवं जंगली जानवरों के सम्पर्क में आने से बचने हेतु प्रेरित किया जावे।

इस प्रकार जर्मीनी स्तर पर कार्य कर रहे कार्मिकों को खुद सुरक्षित रहने के साथ-साथ सामान्य जानकारीयां प्रदान कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु योजनान्तर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों को भी सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया जावे।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner